

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-762 / 2013संस्थित दिनांक-24.09.13

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मौ

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. धांसू उर्फ रूपसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह परिहार

उम्र 27 साल

2. महेश पुत्र हरविलास परिहार उम्र 30 साल

3. लक्ष्मण पुत्र गोपालसिंह परिहार उम्र 44 साल

निवासी ग्राम गुहीसर थाना मौ जिला भिण्ड, म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 09.08.2017 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 294, 323/34, 506 भाग दो के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16.09.13 को 10 बजे ग्राम गुहीसर मेहतर मोहल्ला हैण्डपंप पर थाना मौ जिला भिण्ड में रघुनाथ को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभकारित किया, रघुनाथ व इन्दिरा की सह अभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा रघुनाथ को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नास कारित किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 16.09.13 को फरियादी मेहतर मोहल्ला में पानी भरने गया था और अपनी मोटरसाईकिल वहीं धोने लगा तो अभियुक्त धांसू आकर बोला कि मोटरसाईकिल यहां नहीं धुलेगी। फरियादी ने कहा कि अभी जाता हूँ तभी महेश आकर गाली गलौच करने लगा और बोला ऐसे नहीं मानेगा। महेश ने गलेवान पकड़ लिया धांसू ने चांटे मारे। जब फरियादी की पत्नी इन्दिरा बचाने आई तो उसे भी उक्त अभियुक्तगण ने लातघूसों से मारपीट की, पानी नहीं भरने दिया। घटना के समय फरियादी की माँ मुन्नी आ गयी जिन्होंने बीच बचाव किया। अभियुक्त लक्ष्मण भी आया उसने कहा कि मादरचोद यदि थाना रिपोर्ट को गए तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क्र0-203/13 पंजीबद्ध किया गया। आहतगण का

चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16.09.13 को 10 बजे ग्राम गुहीसर मेहतर मोहल्ला हैण्डपंप पर थाना मौ जिला भिण्ड में रघुनाथ को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभकारित किया ?
2. क्या उक्त दिनांक व समय पर रघुनाथ व इन्दिरा को कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?
3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने रघुनाथ व इन्दिरा की सह अभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?
4. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने रघुनाथ को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रघुनाथ अ०सा० 1, इन्दिरा बेटी अ०सा० 2, महेन्द्रसिंह अ०सा० 3, मुन्नीबाई अ०सा० 4, डा० आर० विमलेश अ०सा० 05 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का सकारण निष्कर्ष //

6. फरियादी रघुनाथ अपने कथन में बताता है कि घटना साक्ष्य दिनांक 21.07.16 से 3 साल पहले हिन्दू मास सावन-भादौ की है। वह 10 बजे हैण्डपंप पर अपनी गाड़ी धो रहा था, अभियुक्त धांसू आया और बोला मादरचोद यहां गाड़ी मत धो तो उसने कहाकि वह अभी घर जाता है। अभियुक्त महेश आया और कहाकि भोसडी वाले ऐसे नहीं जायेगा इसमें लातघूसे दो तब लक्ष्मण भी आ गया। साक्षी इसके बाद उसकी व उसकी पत्नी की मारपीट करने तथा उसकी माँ मुन्नी बचाने आई तो उससे भी गाली गलौच करने का कथन करता है। इन्दिरा अ०सा० 2 यह कथन करती हैं कि सावन-भादौ के महीने में जब उसका पति फरियादी रघुनाथ गाड़ी धो रहा था तब अभियुक्त महेश

और धांसू ने उनकी मारपीट की और जब वह बचाने पहुंची तो उसकी भी मारपीट की। साक्षी यह भी कथन करती है कि आरोपीगण गाली गलौंच कर रहे थे और कह रहे थे कि मादरचोद रिपोर्ट को गयी तो जान से खत्म कर देंगे। मुन्नीबाई अ0सा0 4 जो कि फरियादी रघुनाथ की है, यह बताती है कि जब उसका लडका रघुनाथ हैण्डपंप पर गाडी धोने गया तो अभियुक्त धांसू ने कहाकि तू यहां पर गाडी नहीं धोएगा, इसके बाद सभी आरोपी आ गए और उसके लडके से मुंहवाद होने लगा। आरोपीगण द्वारा उसके लडके को मां बहन की गंदी गालियां दिए जाने के संबंध में कथन करती है।

7. फरियादी रघुनाथ अ0सा0 1 घटना के संबंध में रिपोर्ट प्र0पी0 1 करना बताते हैं। उक्त रिपोर्ट में यद्यपि गाली देने के संबंध में अवश्य लेख किया गया है किन्तु अभियुक्त धांसू द्वारा गाली दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। अभियुक्त महेश द्वारा "मादरचोद" शब्द उच्चारित किए जाने का कथन लेख है जबकि फरियादी रघुनाथ ने अभियुक्त महेश द्वारा "भोसडी वाले ऐसे नहीं जाएगा" का अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है जबकि अन्य अभियुक्त लक्ष्मण के संबंध में किसी साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है कि किसने कौनसे शब्द का उच्चारण किया। प्रकरण में आहत इन्दिराबेटी अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौंच किए जाने का तथ्य अवश्य बताया है किन्तु यह स्पष्ट नहीं करती हैं कि किस अभियुक्त द्वारा कौनसे अश्लील शब्द या गाली का उच्चारण किया गया। फरियादी रघुनाथ अ0सा0 1 तथा इन्दिरा बेटी अ0सा0 2 ने अपने अभिसाक्ष्य में अभिकथित अश्लील शब्द या गाली के उच्चारण से उन्हें कोई क्षोभकारित हुआ हो, इस प्रकार का कथन नहीं किया है। संहिता की धारा 294 के अपराध को प्रमाणित किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्द या गाली उच्चारित किए जाने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य हो। साथ ही अभिकथित गाली या अश्लील शब्द सुनकर फरियादी को क्षोभकारित हुआ हो, इस संबंध में भी अभिलेख पर तथ्य होना आवश्यक है। प्रकरण में उक्त दोनों का अभाव है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 294 का अपराध प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 का सकारण निष्कर्ष //

8. फरियादी रघुनाथ अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करता है कि जब अभियुक्तगण उसकी व पत्नी की मारपीट कर रहे थे तो उसकी माँ मुन्नी बचाने आई तब उनसे भी गाली गलौंच कर कहा कि तुम थाने जाओगी तो जान से खत्म कर देंगे। इन्दिरा बेटी अ0सा0 2 यह कथन करती हैं कि अभियुक्तगण ने कहा था कि मादरचोद रिपोर्ट करने गयी तो जान से खत्म कर देंगे। मुन्नीबाई अ0सा0 4 यह कथन करती हैं कि जब उन्होंने बीच बचाव कराया तो आरोपीगण ने उनसे भी झूमा झटकी (धक्का मुक्की) कर दी और अभियुक्तगण कह रहे थे कि रिपोर्ट को गयी तो जान से खत्म कर देंगे। इस प्रकार से साक्षीगण द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण के द्वारा रिपोर्ट करने पर जान से खत्म कर देने की धमकी दिए जाने के संबंध में कथन किया गया है। किन्तु किसी भी साक्षी

ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्हें अभिकथित धमकी से कोई भय अथवा संत्रास कारित हुआ हो। संहिता की धारा 506 भाग दो के आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु मात्र यह अभिसाक्ष्य कि अभियुक्त द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी दी बल्कि यह भी आवश्यक है कि अभिकथित जान से मारने की धमकी दिए जाने से फरियादी को भय अथवा संत्रास कारित हुआ हो। उक्त भय अथवा संत्रास के संबंध में न्यायालय को अपना निष्कर्ष देने हेतु मौखिक व फरियादी के आचरण पर आधारित तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष देना होता है। साक्षियों ने अभियुक्तगण के द्वारा अभिकथित रूप से रिपोर्ट करने जाने पर जान से खत्म कर देंगे, की धमकी दिए जाने का तथ्य अवश्य अपनी अभिसाक्ष्य में प्रकट किया है किन्तु भय अथवा संत्रास कारित हुआ हो, इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है। जहां तक प्रकरण में फरियादी एवं साक्षियों के आचरण का प्रश्न है तो प्र0पी0 1 की प्राथमिकी घटना दिनांक को ही लगभग 4 घण्टे की अवधि के भीतर ही लेख की गयी है और प्राथमिकी की कण्डिका 8 में विलंब का कोई कारण अभियुक्तगण के द्वारा अभिकथित धमकी का आधार नहीं लेख कराया गया है। ऐसी दशा में संहिता की धारा 506 भाग दो के आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु कोई तर्क पूर्ण साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। न्यायदृष्टात-रोशनलाल वि० म० प्र० राज्य 1968 एम पी एल जे 172 में माननीय न्यायालय ने यह अभिव्यक्त किया कि धारा 506बी के अपराध के प्रमाण हेतु आहत/पीडित व्यक्ति के द्वारा उसे भय अथवा संत्रास कारित होने का तथ्य अभिलेख पर होना चाहिए। अतः संहिता की धारा 506 भाग-2 का अपराध प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का सकारण निष्कर्ष //

9. फरियादी रघुनाथ अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि वह हैण्डपंप पर अपनी गाड़ी धो रहा था तब उसे अभियुक्त धांसू ने गाड़ी धोने से मना किया तो फरियादी बोला अभी जाता है तब अभियुक्त महेश आया और बोला ऐसे नहीं जाएगा उसमें लातघूंसे दो तब लक्ष्मण भी आ गया और अभियुक्त महेश तथा धांसू ने उसकी तथा उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। साक्षी यह कथन करता है कि उसे तथा उसकी पत्नी को मारपीट में चोटें आई थी। साक्षी अपना मेडीकल होने का तथ्य भी बताता है। इन्दिरा बेटा अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह बताती हैं कि अभियुक्त महेश और धांसू ने उसके पति की मारपीट की और वे बीच बचाव करने पहुंची तो उन दोनों ने उसकी भी मारपीट की। साक्षी मुख्य परीक्षण में उसकी कमर में चोट आने का कथन करती है जबकि प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में अपने दाहिने बखौरा एव गले में नाखून बैठ जाने तथा कमर में लात लगने का कथन किया गया है। मुन्नी अ०सा० 4 बताती है कि जब उसका लडका हैण्डपंप पर गाड़ी धो रहा था तो धांसू ने गाड़ी धोने से मना किया और आरोपीगण आ गए तथा अभियुक्त महेश द्वारा उसके लडके को चांटे से तथा बहू इन्दिरा को धांसू व महेश द्वारा लातघूंसे से मारपीट किए जाने का कथन किया है।

10. डा0 आर0 विमलेश अ0सा0 5 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि दिनांक 16.09.13 को डा0 हरीश हाशवानी सीएचसी मौ में पदस्थ थे। उनके समक्ष आरक्षक पुरुषोत्तम 472 द्वारा लाए जाने पर उन्होंने आहत रघुनाथ एवं आहत इन्दिरा पत्नी रघुनाथ का मेडीकल परीक्षण किया था। मेडीकल परीक्षण में डा0 हाशवानी द्वारा रघुनाथ को एक खरोंच 1/2 सेमी0 दाहिनी आंख के नीचे होना पाई थी। आहत इन्दिरा को परीक्षण करने पर चोटें निम्नानुसार पाई थी-

चोट क0 1 खरोंच का आकार निशान के रूप में दिखाया गया जो बायीं हसली पर था,

चोट क0 2 बाएं हसली के नीचे हिस्से में कड़ापन था।

चोट क0 3 कड़ापन पेट के निचले हिस्से में।

चोट क0 4 नील निशान 1.4 सेमी0 गुणा 1/4 सेमी0 दांयी ओर पीठ में था।

आहतगण को आई चोटें 24 घण्टे के भीतर की सख्त व भौथरी वस्तु से आना प्रतीत होने की अपनी सुसंगत राय देते हुए आहत इन्दिरा के छाती के एक्सरे कराए जाने एवं पेशाब में खून आने संबंधी शिकायत की जांच के लिए स्त्रीरोग विशेषज्ञ को रैफर किए जाने का कथन करते हैं। इस प्रकार से चिकित्सक द्वारा आहतगण को आई चोटें डा0 हरीश हाशवानी द्वारा उनके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किए जाने से हस्ताक्षर व हस्तलिपि से परिचित होने के आधार पर भारतीय साक्ष्य अधि0 1872 की धारा 47 के अधीन सुसंगत दर्शाकर प्रमाणित की है।

11. आहतगण के चिकित्सीय प्रतिवेदन क्रमशः प्र0पी0 6 व 7 पर ए से ए भाग पर डा0 हरीश हाशवानी के हस्ताक्षरों को चिकित्सक डा0 आर0 विमलेश द्वारा प्रमाणित किया गया है। अभियुक्तगण की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि आहतगण को आई चोटे पीछे से ठोकर लगकर मुंह के बल गिरने से आना संभव है। जबकि आहत इन्दिरा को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया कि वह मुंह के गिर गयी थी जिससे उसे चोटें कारित हुई थी। ऐसी दशा में स्वयं अभियुक्तगण की ओर से आहत को कारित चोटों का खण्डन नहीं किया गया है। प्र0पी0 1 की प्राथमिकी में घटना का समय सुबह 10 बजे बताया गया है जबकि आहतगण के चिकित्सीय परीक्षण प्र0पी0 6 व 7 की रिपोर्ट के अनुसार दोपहर करीब 2:45 बजे किया जाना लेख है जो कि 24 घण्टे की भीतर के हैं। इस प्रकार से प्र0पी0 6 व 7 की रिपोर्ट तथा प्र0पी0 1 की प्राथमिकी के तथ्यों से भारतीय साक्ष्य अधि0 1872 की धारा 35 के अधीन चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन सुसंगत होकर अधिनियम की धारा 114 ड के अधीन उनके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किए जाने से अविश्वास किए जाने का कोई युक्तियुक्त आधार अभिलेख पर नहीं है। इस प्रकार से यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 16.09.13 को प्रातः करीब 10 बजे फरियादी रघुनाथ एवं आहत इन्दिरा बेटी को शरीर पर चोटें मौजूद थीं। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में आहतगण को स्वेच्छा उहपति कारित की गयी ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 का सकारण निष्कर्ष //

12. फरियादी रघुनाथ अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करता है कि जब वह हैण्डपंप पर अपनी गाडी धो रहा था तो अभियुक्त धांसू आया और गाडी धोने से मना करने लगा। जब फरियादी बोला कि वह अभी जाता है तो अभियुक्त महेश आया और बोला कि ऐसे नहीं मानेगा, इसमें लातघूंसे दो। इसके बाद अभियुक्त महेश व धांसू द्वारा उसकी व उसकी पत्नी की मारपीट करने का कथन किया गया है और महेश और धांसू के द्वारा उसे मारने पर जब पत्नी बचाने आई तो तीनों अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किए जाने का कथन किया गया है। इन्दिरा अ0सा0 2 ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि जब उसके पति गाडी धो रहे थे तो महेश और धांसू ने उनकी मारपीट की और जब वह बचाने पहुंची तो महेश और धांसू ने उसकी भी मारपीट की। साक्षी मारपीट में अपनी कमर में चोट आने का कथन करती है और सास के मौके पर पहुंच जाने का भी कथन करती है। मुन्नीबाई अ0सा0 4 अभिसाक्ष्य में महेश द्वारा उसके लडके की चांटों से मारपीट करने और बहू इन्दिरा के बचाने आने पर महेश तथा धांसू द्वारा लातघूंसे मारपीट किए जाने का कथन करती हैं। इस प्रकार से प्रकरण में अभियुक्त धांसू व महेश के द्वारा आहतगण को उपहति कारित किए जाने का कथन किया है। रघुनाथ अ0सा0 1 उसकी पत्नी की तीनों आरोपीगण द्वारा मारपीट किए जाने का कथन करते हैं, जबकि स्वयं आहत इन्दिरा अ0सा0 2 अभिसाक्ष्य में अभियुक्त धांसू व महेश द्वारा उसे चोट पहुंचाए जाने का कथन करती है।

13. रघुनाथ अ0सा0 1 द्वारा प्र0पी0 1 की प्राथमिकी लिखाए जाने का कथन किया है जिसमें भी अभियुक्त लक्ष्मण द्वारा किसी आहत को चोट पहुंचाए जाने का तथ्य लेख नहीं हैं। साक्षी रघुनाथ प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 यह कथन करता है कि उसने प्र0पी0 1 की रिपोर्ट में लिखा दिया था कि तीनों आरोपीगण द्वारा उसकी पत्नी की मारपीट की, किन्तु तीनों अभियुक्तगण द्वारा पत्नी की मारपीट किए जाने का तथ्य प्र0पी0 1 की प्राथमिकी में लेख नहीं हैं और न ही पुलिस कथन प्र0डी0 1 में लेख है। साक्षी द्वारा कण्डिका 5 में उसे लक्ष्मण द्वारा एक तमाचा मारना, महेश द्वारा पीठ में लात मारना तथा अभियुक्त धांसू द्वारा उसका बायां हाथ मरोड़ देने का कथन किया गया है। यद्यपि उपरोक्त चोटें आहत को नहीं पाई गयी हैं और चिकित्सक ने मात्र उसकी दाहिनी आंख के नीचे खरोंच की पुष्टि की है, ऐसे में फरियादी द्वारा उक्त कथन अभिवृद्धि के रूप में किया गया है। प्रकरण में यद्यपि महेश तथा धांसू के द्वारा अपराध में संलिप्त होने और सामान्य आशय के अग्रशरण में आहतगण की मारपीट किए जाने के संबंध में अभिलेख पर तथ्य विद्यमान हैं किन्तु अभियुक्त लक्ष्मण के संबंध में स्वयं आहत इन्दिरा अ0सा0 2 तथा चक्षुदर्शी मुन्नी अ0सा0 4, जो कि आहत फरियादी की क्रमशः पत्नी व माँ हैं, उनके अभिसाक्ष्य में अभियुक्त लक्ष्मण के सामान्य आशय के संबंध में तथ्य स्पष्ट नहीं हैं। ऐसी दशा में अभियुक्त लक्ष्मण का सामान्य आशय प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

14. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से यह बचाव लिया गया है कि अभियुक्तगण का घर फरियादी के पड़ोस में हैं और अभियुक्त धांसू का भाई जोगेन्द्र फरियादी की भानेज को अपने साथ ले गया इस कारण से उन्हें झूठा लिप्त किया गया है। अभियोजन साक्षियों द्वारा अभिसाक्ष्य में यह तथ्य स्वीकार किया है कि जोगेन्द्र आहतगण की भानेज को भगाकर ले गया इस कारण से उनके मध्य रंजिश विद्यमान हैं, किन्तु उतना ही यह तथ्य प्रमाणित है कि दिनांक 16.09.13 को आहतगण को शरीर पर चोटें मौजूद थी, जिनका समर्थन साक्षियों द्वारा किया गया है। आहतगण को कारित चोटों को देखते हुए उनके अभिसाक्ष्य पर अविश्वास हेतु समुचित आधार नहीं पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो विरोधाभास उनकी साक्ष्य में रेखांकित किए गए वे साधारण व सूक्ष्म प्रकृति के हैं। न्यायदृष्टांत **योगेशसिंह विरुद्ध महावीरसिंह व अन्य एआईआर 2016 एस0सी0-5160 : जे0टी0 2016**

(10) एस0सी0 332 : 2016 (4) सीसीएससी 1876 की कण्डिका 29 में मान0 सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "विधि में सुस्थापित है कि कुछ असंगतताओं को महत्व प्रदान नहीं किया जाना चाहिए और साक्ष्य पर विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। परीक्षण यह है कि क्या वह न्यायालय के मस्तिष्क में विश्वास उत्पन्न करता है। यदि साक्ष्य असाधारण है और प्रज्ञा के परीक्षण के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है तो वह अभियोजन कथन में कमी सृजित कर सकता है। यदि कोई लोप या असंगतता मामले की तह तक जाती है और विषमताओं को प्रविष्ट करती है, तो प्रतिरक्षा ऐसी असंगतियों का लाभ ग्रहण कर सकता है। यह अभिकथित करने के लिए किसी विशेष प्रबलता की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक लोप तात्विक लोप का स्थान नहीं ले सकता इसलिए कुछ असंगतियां, विषमताएं या महत्वहीन अलंकरण अभियोजन के मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते और अभियोजन साक्ष्य को नामंजूर करने के लिए आधार रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। लोप को साक्षी की विश्वसनीयता या विश्वास योग्यता के बारे में गंभीर संदेह सृजित करना चाहिए। केवल गंभीर पारस्परिक विरोध और लोप ही, तात्विक रूप से अभियोजन के मामले को प्रभावित करते हैं किन्तु प्रत्येक परस्पर विरोध या लोप नहीं।' ऐसे में आहतगण की साक्ष्य के आधार पर अभियोजन साक्ष्य को पूर्णतः नकारने का आधार नहीं पाया जाता है।

15. प्रकरण में आहत एवं साक्षियों के हितबद्ध साक्षी होने का तर्क है तो आहत के निकट संबंधी होने के नाते यह संभावना उत्पन्न नहीं होती है कि बिना किसी आधार के वे आहत को उपहति कारित करने वाले के रूप में किसी असत्य व्यक्ति को लिप्त करें। आहत साक्षी की साक्ष्य महत्वपूर्ण होती है। न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत **Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259** की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में अभिनिर्धारित किया कि -

Injured witness - Testimony of - Reliability - Presence of injured witness on spot, not doubtful - Graphic description of entire incident given by him - Must be given due weightage - His deposition corroborated by evidence of other eye witnesses - Cannot be brushed aside merely because of some trivial contradictions and omission therein.

इसके अतिरिक्त मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में न्यायदृष्टांत **Bhajan Singh alias Harbhajan Singh and Ors v. State of Haryana AIR 2011 SC 2552 : (2011)7 SCC 421** भी उल्लेखनीय हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा 21 में आहत साक्षी के संबंध में निम्नानुसार अभिव्यक्त किया-

“21. The evidence of the stamped witness must be given due weightage as his presence on the place of occurrence cannot be doubted. His statement is generally considered to be very reliable and it is unlikely that he has spared the actual assailant in order to falsely implicate someone else. The testimony of an injured witness has its own relevancy and efficacy as he has sustained injuries at the time and place of occurrence and this lends support to his testimony that he was present at the time of occurrence. Thus, the testimony of an injured witness is accorded a special status in law. Such a witness comes with a built-in guarantee of his presence at the scene of the crime and is unlikely to spare his actual assailant(s) in order to falsely implicate someone. "Convincing evidence is required to discredit an injured witness". Thus, the evidence of an injured witness should be relied upon unless there are grounds for the rejection of his evidence on the basis of major contradictions and discrepancies therein. (Vide: Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259 : (AIR 2011 SC (Cri) 964 : 2010 AIR SCW 5701); Kailas and Ors. v. State of Maharashtra, (2011) 1 SCC 793 : (AIR 2011 SC 598); Durbal v. State of Uttar Pradesh, (2011) 2 SCC 676 : (AIR 2011 SC 795 : 2011 AIR SCW 856); and State of U.P. v. Naresh and Ors., (2011) 4 SCC 324 : (AIR 2011 SC (Cri) 761 : 2011 AIR SCW 1877)).
Resently Followed in :- Narender Singh and others v. State of Madhya Pradesh 2015(11) SCALE 557 : JT 2015 (9) SC 435”

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तथ्य अंशतः प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण **धांसू एवं महेश** द्वारा दिनांक 16.09.13 को 10 बजे ग्राम गुहीसर मेहतर मोहल्ला हैण्डपंप पर थाना मौ जिला भिण्ड में रघुनाथ व इन्दिरा की उपहति कारित करने के सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की। अतः अभियुक्त **धांसू एवं महेश** को संहिता की धारा **323/34 के अधीन दोषसिद्ध** किया जाता है। अभियुक्त लक्ष्मण को सभी आरोपों एवं अभियुक्त धांसू एवं महेश को संहिता की धारा 294, 506 भाग दो के आरोप प्रमाणित न पाए जाने से उक्त आरोप के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।

17. अभियुक्तगण धांसू एवं महेश के पूर्व के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उन्हें अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त लक्ष्मण की दफ़्त की धारा 437 ए के अधीन प्रस्तुत जमानत 6 माह तक प्रभावशील रहेगी।

18. अभियुक्तगण के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

सही / -

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

पुनश्च:

19. अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्तगण के ग्रामीण मजदूर कृषक होने के आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

20. अभियुक्तगण **धांसू एवं महेश** की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं किन्तु साथ ही उसकी परिपक्व आयु एवं आहत/फरियादी को स्वेच्छा मारपीट कर उपहति कारित करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि आहतगण व अभियुक्तगण पड़ोसी हैं, उनके मध्य पूर्व से विवाद था। आहतगण को आई चोटें साधारण प्रकृति की है। अभियुक्तगण 30 वर्ष से कम के हैं। ऐसी दशा में इन्हें कठोरतम दण्ड से दण्डित न करते हुए शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किए जाने पर न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होना संभव है। अतः **अभियुक्त धांसू एवं महेश** को संहिता की धारा 323/34 के अधीन न्यायालय उठने तक की अवधि के व 1000-1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को एक-एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

21. अभियुक्तगण से अर्थदण्ड के रूप में बसूली गयी राशि में से फरियादी/आहत **रघुनाथ एवं इन्दिरा बेटी** को हुई क्षति या हानि के प्रतिकर के रूप में दफ़्त की धारा 357-1 ख के अधीन 500/-500/-रुपये (पांच-पांच सौ रुपये) आवेदन करने पर विधि अनुसार प्रदान किये जावें।

22. प्रकरण में जब्त शुदा संपत्ति कुछ नहीं।

23. निर्णय की एक-एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।

24. अभियुक्तगण की निरोधावधि के संबंध में धारा 428 दप्रसं० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/-

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/-

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)